2013/00010

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वासुदेव मालावत, आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या : 629/2012 (अपील)

उनवान

1. बंशीलाल
2. महाराम
3. हेमराज
4. फूलबाई

पिसरान बद्रीबाई पुत्री माधोलाल जाति बैरवा निवासी रामपुरिया धाभाई पत्नी जगन्नाथ बैरवा निवासी नीमसरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र धूल्या
2. प्रहलाद पुत्र धूल्या
3. बृजमोहन पुत्र धूल्या

जाति बैरवा निवासी रामपुरिया धाभाई तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री रमाकान्त लोहिया (अभिभाषक अपीलाण्ट)

2. अपील संख्या : 335/2013

सुरेश मुतवन्ना स्व0 लडडू लाल जाति बैरवा निवासी ग्राम रामपुरिया धाबाई, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र धूल्या
2. प्रहलाद पुत्र धूल्या
3. बृजमोहन पुत्र धूल्या

जाति बैरवा निवासी रामपुरिया धाभाई तहसील पीपल्दा जिला कोटा .

4. बंशीलाल
5. महाराम
6. हेमराज
7. फूलबाई

पिसरान श्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी नीमसरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

8. राजस्थान राज्य जर्य तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री रमाकान्त लोहिया

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 441 दिनांक 30.12.2010
ग्राम बालूपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 17.07.2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक उपरोक्त वर्णित दोनों अपीलें वाके ग्राम बालूपा के नामान्तरकरण संख्या 441 दिनांक 30.12.2010 तहसील पीपल्दा के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की

गई है कि आदेश नामान्तरकरण जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, नियम तथा तथ्या के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई।

3. उपरोक्त वर्णित दोनों अपीलें एक ही नामान्तरकरण संख्या 441 के विरूद्ध होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जाना उचित समझा गया।

4. प्रस्तुत अपीलों में उपस्थित विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5.. कम संख्या 1 पर अंकित अपील में उपस्थित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार लडडूलाल आत्मज माधोलाल बैरवा निवासी रामपुरिया धाभाई तहसील पीपल्दा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 48, 136, 160 कुल किता 3 रकबा 4.56 है0 वाके ग्राम बालूपा का फोती इन्तकाल रेस्पोडेण्ट कम 1 लगायत 3 के पक्ष में तस्दीक करने में कानूनी त्रुटि की है। रेस्पोडेण्ट स्व0 लडडूलाल के पुत्र नहीं है, बल्कि चाचा धूल्या के पुत्र है एंव अपीलाण्ट स्व0 लडडूलाल की बहन बद्रीबाई के पुत्र है। लडडूलाल अपीलाण्ट के सगे मामा थे, तथा लाऔलाद फोत हो गये थे, उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। स्व0 लडडूलाल की एक मात्र बहिन बद्री बाई का स्वर्गवास हो गया है। इसलिऐ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की सेकिण्ड श्यूड्ल के अनुसार अपीलाण्ट स्व0 लडडूलाल की बहिन बद्रीबाई के पुत्र पुत्री होने के नाते उसकी सम्पत्ति के वारिस है। इसलिऐ उनका फोती इन्तकाल अपीलाण्ट के पक्ष में खोला जाना चाहिऐ था। इन्तकाल पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट झूठी है, उसने रेस्पोडेण्ट्स को अपनी रिपोर्ट में स्व0 लडडूलाल का पुत्र बताया है जबकि वह धूल्या के पुत्र है और किसी भी प्रकार लडडूलाल की सम्पति के उत्तराधिकारी नहीं है। पंचायत मतदाता सूची 2009 में वार्ड संख्या 3 में रेस्पोडेण्ट के पिता का नाम धूल्या दर्ज है। स्व0 लडडूलाल ला–औलाद फोत हो गये थे इसलिऐं रेस्पोडेण्ट उनके पुत्र होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जैर अपील आदेश इन्तकाल पारित करने से पूर्व योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। जबकि वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट का ही कब्जा है। अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र अनुसार जानकारी की तिथी से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल संख्या 441 दिनांक 30.12. 2010 निरस्त फरमाया जावे, एंव स्व0 लडडूलाल की विरासत का इन्तकाल अपीलाण्ट के पक्ष में तस्दीक किऐ जाने के आदेश दिये जावे।

6. कम संख्या 2 पर अंकित अपील में उपस्थित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा ने मृतक खातेदार लडडूलाल आत्मज माधो उर्फ मांग्या का फौती नामान्तरकरण संख्या 441 ग्राम बालूपा रेस्पोडेण्ट कम 1 लगायत 3 के पक्ष में तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि रेस्पोडेण्ट कम 1 लगायत 3 खातेदार लडडूलाल के पुत्र एंव उत्तराधिकारी नहीं है। रेस्पोडेण्ट कम 1 लगायत 3 धूल्या के पुत्र है। अपीलाण्ट मृतक खातेदार लडडूलाल का गोदपुत्र है। मृतक खातेदार लडडूलाल एंव उसकी पत्नी कमली बाई ने दिनांक 14.01.1992 मकर सक्रांति के दिन रिश्तेदारान जाति समाज के लोगों की उपस्थिति में अपीलाण्ट कों हिन्दू जाति के रिति रिवाजों के अनुसार अपीलाण्ट के प्राकृतिक माता पिता शंकरलाल एंव शान्तीबाई से गोद की रस्म कर गोद लिया था। गांव जाति व समाज में अपीलाण्ट सुरेश मृतक खातेदार लडडूलाल एंव कमलाबाई का गोद पुत्र होने से एक मात्र उत्तराधिकारी हे। रेस्पोडेण्ट मृतक खातेदार लडडूलाल के उत्तराधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट मृतक लडडूलाल के हिस्से की उपरोक्त कृषि भूमि एंव उनके मकान पर काबिज चला आ रहा है तथा उनके मकान में मय परिवार के निवास कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तराधिकार एंव कब्जे के सम्बन्ध में

जांच किऐ बिना ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एंव राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू, लेण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के प्रावधानों के विपरीत हुक्म जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलाण्ट उपरोक्त आराजीयात पर काबिज है, अपीलाण्ट का उपरोक्त आराजीयात में हित निहित है। हुक्म जैर अपील से व्यथित पक्षकार होने के कारण यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत फरमाई जावे। अपीलाण्ट ने अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र अनुसार जानकारी की तिथी से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर मृतक खातेदार का फौती नामान्तरकरण अपीलाण्ट के पक्ष में तस्दीक किऐ जाने का आदेश फरमाया जावे।

7. उपस्थित विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। कम 2 पर अंकित अपील के विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से अपीलाण्ट सुरेश की ओर से उसकी अपील में अंकित रेस्पोडेण्टान प्रतिवादी के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा में दिनांक 19.03.2014 को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88, 89, 92(क), एंव 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद की अप्रमाणिक छाया प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. उपस्थित विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी जाकर पत्रावलियों का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि पक्षकारान के मध्य अपने अपने अनुसार अपने अपने अधिकारों का कथन करते हुऐ स्व0 लडडूलाल की वाके ग्राम बालूपा तहसील पीपल्दा में स्थित आराजी के सम्बन्ध में नामान्तरकरण की कार्यवाही को लेकर अपने अपने हक हकूक के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग है, तथा अधिकारों का निर्धारण करने के लिऐ अधीनस्थ न्यायालय सक्षम न्यायालय नहीं है। पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नियमित राजस्व वाद द्वारा ही संभव हो सकता है। ऐसी अवस्था में विचारण अपीलों का बिना किसी विनिश्चय के इस हेतु निस्तारण किया जाता है कि पक्षकारान विवादित आराजी के सम्बन्ध में अपने अपने अधिकारों के लिऐ नियमित वाद के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करे।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

मुद्रा